

क 1501 / एक-1-31/31/एक-2, 2020
मिति

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी बाधन
जल सहायन विभाग
रायपुर (छ.ग.)
दुर्ग जिले के विकासखंड-पाटन की खारून नदी में ठकुराई-नौला घाट को पास लक्ष्मण झूला निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

सदर - 1 प्रमुख अभियंता का पत्र क्र-63/बा.प्र/प्रशास्त्री/मगीक/2020/6042
दिनांक 01.07.2020
2 मुख्य अभियंता का पत्र क्रमांक-25/डी-2/मगीक/2020/481, रायपुर
दिनांक 23.01.2021

---00---


- राज्य शासन एतद द्वारा दुर्ग जिले के विकासखंड-पाटन की खारून नदी में ठकुराई-नौला घाट के पास लक्ष्मण झूला निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 1940.35 लाख (सिंध उन्नीस करोड़ चालीस लाख सैतीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।
- योजना अन्तर्गत सस्पेंशन ब्रीज का निर्माण सहित स्टील गार्डर का निर्माण, सस्पेंशन ब्रीज को मंदिर से जोड़ने हेतु स्टील फूटब्रिज का निर्माण नदी के दोनों तटों का सुरक्षात्मक कार्य, पी.सी.सी एब्टेमेंट का निर्माण, रिटनिंग वॉल का निर्माण, दोनों तटों में गार्डन, म्यूजिकल फाउन्टेन एवं मनोरंजन केन्द्र का निर्माण, बाउंड्रीवाल का निर्माण, सड़क एवं गार्डन में विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था पार्किंग एवं चौकीदार हेतु आई टाइप त्वाटर का निर्माण एवं अन्य कार्य प्रस्तावित है।
 - कार्य विनाग नियमावली की कडियन 2006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति ही जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने को प्रस्ताव निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
 - छत्तीसगढ़ विस्तीय सहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दावेत है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय विस्तीय नियमों का पालन हो।
 - योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य 4702 लघु सिंचाई पर पूर्ण परिचय (102)-भूतल जल, 010: राज्य आयोजना (सामान्य) (6259) एनीकट/स्थापक निर्माण #26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बाध एवं नहर के अंतर्गत विकल्प होवा।
 - वित्त विभाग द्वारा उनके जाचक क्र-1391/बजट-2/वित्त/घर/2021, दि. 12.01.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
 - योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि को अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर। लागत यदि स्वीकार्य नहीं होगी।
 - निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
 - संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य को संचालन में सुनिश्चित कर।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
उपरोक्त आदेशानुसार
23/01/2021
(प्रशासक अर्थिक)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल सहायन विभाग

सूचिका

1. अवर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास) छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (विद्युत), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महासंचालक, लेखा एवं हकदार, जीरो पाइन्ट, बलीदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महासंचालक (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलीदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. जल संचालक, मंत्रालय एवं प्रादेशिक जल क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एन.ओ.ई.एस.यू.निड, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नई रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
14. सहायक अभियंता, तादुला जल संसाधन विभाग, दुर्ग, जिला-दुर्ग।

टी और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अघोषित।


 22/03/2021
 अवर सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन
 जल संसाधन विभाग
